महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/DRSSA-57/2021-22/ Date 22.11.2021

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief of such civil/ family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th Pay Commission – reg.

Ref: 1. O.M. No. 222/XXVII(7)02/2016, Dehradun Dated 24.09.2021 of Government of Uttarakhand, Finance (G.R.-P.C.) Section-7

2. SSA No P.A./Pension/DR/Uttarakhand/2021-22/1402 dated 05.11.2021 received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand

I am to enclose herewith the copy of the SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding grant of Dearness Relief of such civil/ family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th Pay Commission. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sd/-

Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram

2. The Office of the Accountant General (A&E)
   Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan,
   Kaulagarh, Dehradoon, Pin – 248195
   (For Information)

-Sd-

Sr. Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

PB/IV/DRSSA/57
22.11.2021

AC.01

190665
15/11/21

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135-2643683

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/: 2021-22 | 1402

दिनांक- 05/11/2021

सेवा में,

DR order Uttarakhand

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलॉंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पॉंडीचेरी	पॉंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

P19
IV SSA

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड
"महालेखाकर भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 2021-22/ 1502 दिनांक: 5/11/2021

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संलग्न संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 7, संख्या:- 220/XXVII (7)02/2016 दिनांक: 24.09.2021

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

राजेन्द्र द्विवेदी

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

नहीं (Not) word missing

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–222/ XXVII(7)02/2016
देहरादूनः दिनांकः 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–382/XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01–07–2021 से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई राहत की दर मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन की 164 प्रतिशत ही रहेगी।

3. यह आदेश माo उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 222/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 24 September, 2021

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2021 @ 189% instead of 164% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 382/XXVII(7)02/2016 Dated 05 November, 2019 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions .

2. For the period from January 01, 2020 to June 30, 2021, the rate of dearness relief will remain 164 percent of the basic pension/basic family pension.

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Manisha Panwar)
Additional Chief Secretary.